

सेवार्थ,

श्रीमान रामचन्द्र अधिकारी महोदय  
वित्तीय महसूल (राज.)

प्रार्थीय सेवा दिवस-2025  
महसूल नं. 1, जिला-वित्तिकर  
पत्र संख्या- 30/2025 दिनांक 11/10/2025

विषय- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

अनवान श्री राम चार्ड पिता/पति श्री हरिनाथ  
घनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बस्ती

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री राम चार्ड पिता/पति हरिनाथ निवासी रामपुरा का/की हु/है।

मेरे हमारे पटवार हल्का रामपुरा के राजस्व ग्राम चार्ड में खाता संख्या 5 किता 02 रकबा 0.63 है। भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम राम चार्ड दर्ज है जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में राम चार्ड दर्ज करवाना चाहती हु/चाहता हु। जति अन्तर्गत

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम राम चार्ड के बजाय जति अन्तर्गत दर्ज करवाने की कृपा करावे।

दिनांक 11/10/2025



हस्ताक्षर

राम चार्ड

रिपोर्ट पटवारी हल्का रामपुरा

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री राम चार्ड पिता/पति हरिनाथ निवासी रामपुरा राजस्व ग्राम चार्ड पटवार हल्का रामपुरा की जमाबन्दी प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में राम चार्ड दर्ज करवाना चाहता हु/चाहते है। दोनो जातियाँ एक ही श्रेणी की है/दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। हमे इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी

हस्ताक्षर भू.अ.नि. राम चार्ड 11/10/25  
रामपुरा

पत्र संख्या: 11/10/2025  
तहसीलदार, बस्सी  
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

**कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बस्सी जिला चित्तौड़गढ़(राज.)**

दिनांक: 11/10/2025

क्रमांक-भू.अ./2025/03

प्रति,

सोपान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौड़गढ़

मानंद्य

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री श्री. अमर सिंह पिता/पति श्री. राम निवासी नरना गाम नरना पटवार हल्का येमलपुरा के राजस्व ग्राम नरना खता संख्या 05 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम अमर सिंह का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम अमर सिंह का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियाँ/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की रिपोर्ट में राज. कार्रवार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

11/10/25  
तहसीलदार बस्सी (भू.अ.)  
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

**कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़(राज.)**

क्रमांक-रीडर/2025/519

दिनांक: 31/10/2025

निमित्त,

पटवार हल्का येमलपुरा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री श्री. अमर सिंह पिता/पति श्री. राम राजस्व ग्राम नरना पटवार हल्का येमलपुरा की खाता संख्या 05 में जाति/नाम अमर सिंह दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बस्सी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री श्री. अमर सिंह पिता/पति श्री. राम की जाति/नाम अमर सिंह एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का येमलपुरा राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बस्सी पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़